



SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY, DUMKA
B.A. Honours 6th Semester Examination-2024 (Under CBCS)



Admit Card

Sln0.401630

Session(2021-2024)

REGISTRATION NO :	SKMU2021005241	YEAR OF REGISTRATION : 2021
COLLEGE CODE & NAME	104 - DR. JAGANNATH MISHRA COLLEGE, JASIDIH	 <i>Congress Ray</i>
NAME OF THE STUDENT	CONGRESS RAY	
FATHER'S NAME	DEOKARAN RAY	
DATE OF BIRTH	01/01/2002	
FACULTY TYPE	ArtsH	

Subject Details

Subject Code & Name		
Core-13	0023-Political Science	COMMENCEMENT OF EXAM: 27/11/2024
Core-14	0023-Political Science	REPORTING TIME 12:30 PM
DSE-3	Political Party in India	
DSE-4	Human Rights in India	TIME OF EXAMINATION 01:00 PM TO 04:00 PM

CENTRE CODE & NAME : 101 - A. S. COLLEGE, DEOGHAR

ROLL NUMBER :211040114521

Answer Copy IDR No. : 211040114521

STUDENT'S SIGNATURE	PRINCIPAL'S SIGNATURE	 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
---------------------	-----------------------	---

महत्वपूर्ण निर्देश:-
परीक्षार्थियों के लिये नियम

- ऑनलाइन से निर्गत प्रवेश पत्र पर सम्बंधित महाविद्यालय प्राचार्य का हस्ताक्षर मुहर के साथ एवं परीक्षार्थी का हस्ताक्षर काली या नीली स्याही से अनिवार्य है।
- परीक्षाएँ प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। विशेष जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- परीक्षा-कक्षों के द्वार परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पहले खोल दिये जायेंगे। परीक्षा आरम्भ के 5 मिनट पहले बन्द कर दिये जायेंगे। निर्धारित समय से आधे घंटे विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी हो, वह किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटायी नहीं जायेगी।
- परीक्षा कक्ष से प्रश्न-पत्र और प्रवेश-पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाना परीक्षार्थियों के लिए वर्जित है।
- प्रश्न -पत्र बंटने के बाद एक घंटे तक किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस नहीं करने दी जायेगी।
- परीक्षा-भवन से एक बार बाहर हो जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति तक कक्ष में पुनः आने नहीं दिया जायेगा।
- यदि कोई परीक्षार्थी कक्ष-निरीक्षक से पुछना चाहता हो तो उसे अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा रहना चाहिए ताकि कक्ष-निरीक्षक वहाँ पहुँच कर जानकारी प्राप्त कर सकें।
- प्रश्न-पत्र बंटने के ठीक पाँच मिनट पहले घंटी बजायी जायेगी जो इस बात की चेतावनी होगी की सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
- परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- वीक्षक या केन्द्राधीक्षक को डरवाने या धमकाने अथवा प्रताड़ित करने पर 2 से 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
- परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाईल लाना वर्जित है। पकड़े जाने पर मोबाईल जप्त की जायेगी।
- इस नियम में जो बातें न आ सकी हों उनके संबंध में केन्द्राधीक्षक आवश्यकतानुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दे सकते हैं और उसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें।